प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1499/2005

याचिकाकर्ता - विष्णु प्रसाद गुप्ता

बनाम

उत्तरवादीगण राम बहादुर सिंह और अन्य

आदेश हेतु दिनांक 26.04.2007 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री,

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1499/2005

याचिकाकर्ता - विष्णु प्रसाद गुप्ता, पिता स्वर्गीय श्री आनंद प्रसाद गुप्ता, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी देवीगंज रोड, अंबिकापुर, थाना और तह. अंबिकापुर, जिला. सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1.राम बहादुर सिंह, पिता रामराज सिंह, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम सैंडबार, फारेस्ट बैरियर के पास, थाना. और तह. अंबिकापुर, जिला. सरगुजा (छ.ग.)

2. मांधाता सिंह, उम्र लगभग 63 वर्ष, पिता राम राज सिंह।

3. बीर बहादुर सिंह, पिता राम राज सिंह, उम्र लगभग 58 वर्ष। प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 3 ग्राम व पोस्ट सरया, बगडौरा, परगना, सिकंदरपुर, तह. के निवासी हैं। रसड़ा, जिला. बलिया (उत्तर प्रदेश)

4. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित:-

श्री सुनील त्रिपाठी, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री सतीश गुप्ता, उप शासकीय अधिवक्ता — उत्तरवादी क्रमांक 4/राज्य की ओर से।

आदेश

(दिनांक 26 अप्रैल, 2007)

(1) इस याचिका के माध्यम से, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 18.02.2005 (अनुलग्नक पी./3) को प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अम्बिकापुर द्वारा वाद क्रमांक 25-A/04 में पारित आदेश की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की वादपत्र के सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया।

(2) याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उसने आवश्यक न्यायालय शुल्क स्टाम्प के साथ अम्बिकापुर, सरगुजा के जिला न्यायाधीश के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया। वाद के मूल्यांकन के अनुसार 1,00,000/- रुपये की राशि पर न्यायालय शुल्क स्टाम्प भी जमा किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) सुनवाई के दौरान, माननीय विचारण न्यायालय ने यह पाया कि वाद का मूल्यांकन सही नहीं किया गया है तथा न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर पर्याप्त न्यायालय शुल्क स्टाम्प जमा नहीं किया गया। यह भी पाया गया कि वादी सही न्यायालय शुल्क जमा करने में असमर्थ है। वाद के गलत मूल्यांकन तथा अपर्याप्त न्यायालय शुल्क के आधार पर, वादपत्र को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 (ख) [आदेश VII नियम 11(ख)] के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया। दिनांक 09.02.2005 के आदेश द्वारा वाद का मूल्यांकन 23,75,000/- रूपये निर्धारित किया गया तथा याचिकाकर्ता को आवश्यक न्यायालय शुल्क जमा करने के निर्देश दिए गए। इस हेतु दिनांक 24.01.2005 एवं 09.02.2005 को समय भी प्रदान किया गया। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में न तो वाद का सही मूल्यांकन किया गया और न ही आवश्यक न्यायालय शुल्क स्टाम्प जमा किया गया। फलस्वरूप, विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 (ख) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादपत्र को निरस्त कर दिया।

(4) उक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें आक्षेपित आदेश की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती देते हुए यह तर्क दिया गया है कि माननीय न्यायाधीश को वादपत्र को उचित मूल्यांकन एवं पर्याप्त न्यायालय शुल्क के साथ पुनः प्रस्तुत करने हेतु लौटाना चाहिए था। अतः, आक्षेपित आदेश दोषपूर्ण है।

(5) मैंने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा अभिलेख पर संलग्न दस्तावेजों एवं कथनों का अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि यह ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें वादपत्र को किसी अन्य सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लौटाया जाना चाहिए था। वर्तमान मामले में न्यायालय वादपत्र को विचारार्थ स्वीकार करने हेतु सक्षम था। सुनवाई के उपरांत, याचिकाकर्ता को निर्धारित समय के भीतर वाद का सही मूल्यांकन करने तथा आवश्यक न्यायालय शुल्क जमा करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था। किन्तु, याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए कि वह सही न्यायालय शुल्क जमा करने में असमर्थ है, उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया। अतः, आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि, अवैधता या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

6) यह विधि का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन तभी करता है, जब कार्यवाही के अभिलेख पर प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट त्रुटि परिलक्षित हो, जो विधि के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना या उपेक्षा पर आधारित हो, अथवा जिससे गंभीर न्याय-विफलता या गंभीर अन्याय उत्पन्न हुआ हो। इसके अतिरिक्त, यह न्यायालय अपने पर्यवेक्षी अधिकारिता का प्रयोग तभी करता है जब निर्णय प्रक्रिया में विकृति, अनियमितता या अवैधता हो, न कि केवल निर्णय के गुण-दो के आधार पर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) परिणामस्वरूप एवं उपर्युक्त कारणों से यह याचिका निरस्त की जाती है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही**

अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur